

भारत सरकार  
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय  
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 738

दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को उत्तर के लिए

संकल्प पहल

738. श्री के. राधाकृष्णन:

एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी:

डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी:

श्री के. सी. वेणुगोपाल:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) संकल्प पहल के अंतर्गत इसकी शुरुआत से अब तक किए गए कार्यों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;
- (ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार हल/समाधान किए गए मुद्दों की संख्या और प्रकृति क्या है;
- (ग) जमीनी स्तर पर महिलाओं को सशक्त बनाने में संकल्प पहल की प्रभावशीलता का आकलन करने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदमों का ब्यौरा क्या है;
- (घ) क्या सरकार ने ऐसी पहल के संचालन में किसी चुनौती की सामना की है; और
- (ड.) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसी पहल का सुचारु एवं इष्टतम संचालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए/प्रस्तावित कदमों का ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री

(श्रीमती सावित्री ठाकुर)

(क) से (ड.): मिशन शक्ति के सामर्थ्य घटक के तहत 01.04.2022 को शुरू किया गया संकल्प: महिला सशक्तीकरण केंद्र (एचईडब्ल्यू), मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों की देखरेख और कार्यान्वयन के लिए एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) के रूप में कार्य करता है।

इसकी प्राथमिक भूमिका देश भर में महिलाओं के लिए एकल-खिड़की अंतर-क्षेत्रीय अभिसरण तंत्र के रूप में कार्य करना सुनिश्चित करना है। इस कार्यकलाप को तीन स्तरों पर संचरित किया गया है- राष्ट्रीय, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र और जिला जो महिलाओं तक प्रभावी पहुंच और सहायता प्रदान करने के लिए समन्वय में काम करते हैं।

संकल्प: एचईडब्ल्यू के माध्यम से मिशन शक्ति के विभिन्न घटकों और भारत सरकार की अन्य महिला-केंद्रित योजनाओं/कार्यकलापों की जानकारी सहायता चाहने वाली महिलाओं को प्रदान की जाती है। जमीनी स्तर पर महिलाओं तक जानकारी पहुंचाने के दौरान, संकल्प: एचईडब्ल्यू के क्षेत्रीय कार्यकर्ताओं के सामने कई चुनौतियां आईं। इन चुनौतियों का समाधान करने के लिए यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम हों, उन्हें नियमित क्षमता-निर्माण प्रशिक्षण दिया जाता है जिसमें उन्हें एक 'मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)' और केंद्र सरकार की महिला-केंद्रित योजनाओं, नीतियों, कानूनों तथा विधानों का विवरण देने वाला एक व्यापक संग्रह प्रदान करना शामिल है। साथ ही, संकल्प: एचईडब्ल्यू को इन जागरूकता प्रयासों की प्रभावशीलता और पहुंच को बढ़ाने के लिए वाहनों के प्रावधान और आउटरीच कार्यकलापों के संचालन के लिए अतिरिक्त धनराशि दी गई है।

इसके अतिरिक्त, घरेलू हिंसा, मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों और कानूनी सहायता से संबंधित मामलों को आगे की सहायता तथा हस्तक्षेप के लिए ओएससी (वन-स्टॉप सेंटर), सखी निवास और शक्ति सदन जैसी अन्य संस्थाओं को भेजा गया है। कल्याणकारी योजनाओं के सुचारु कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए आंकड़ा प्रबंधन, डैशबोर्ड से जुड़ी तकनीकी कठिनाइयों और भर्ती संबंधी समस्याओं से संबंधित मुद्दों का समाधान किया गया है।

दिनांक 21 जून 2024 से 4 अक्टूबर, 2024 तक सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में महिला सशक्तीकरण पर ध्यान केंद्रित करते हुए संकल्प: एचईडब्ल्यू के माध्यम से '100 दिवसीय विशेष जागरूकता अभियान' चलाया जाएगा जो इस पहल की राष्ट्रीय पहुंच और प्रभाव को प्रदर्शित करेगा। इस अभियान में महिलाओं के अधिकारों, स्वास्थ्य, कानूनी सुरक्षा तथा महिलाओं से संबंधित सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास शामिल थे। इस दौरान महिलाएं अपनी दैनिक चुनौतियों पर खुलकर चर्चा कर सकेंगी और निवारण और सहयोग की मांग कर सकेंगी।

संकल्प: एचईडब्ल्यू के तहत राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा आयोजित कार्यकलापों का विवरण **अनुलग्नक** में दिया गया है।

\*\*\*\*\*

**अनुलग्नक**

'संकल्प पहल' के संबंध में श्री के. राधाकृष्णन, एडवोकेट गोवाल कागडा पाडवी, डॉ. एम. पी. अब्दुस्समद समदानी और श्री के. सी. वेणुगोपाल द्वारा दिनांक 29.11.2024 को लोक सभा में पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 738 के भाग (क) से (ड.) के उत्तर में संदर्भित अनुलग्नक

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा संकल्प: एचईडब्ल्यू पहल के अंतर्गत शुरुआत से अब तक संचालित कार्यकलापों का विवरण

क्र.सं.	संकल्प : एचईडब्ल्यू के अंतर्गत कार्यकलापों का विवरण	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा किए गए कार्य
1.	बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर जागरूकता	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, चंडीगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
2.	महिला-केंद्रित कानूनों पर जागरूकता	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, गुजरात
3.	मिशन शक्ति पर क्षमता निर्माण/प्रशिक्षण	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
4.	पीसीपीएनडीटी प्रवर्तन अभियान	अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
5.	लैंगिक संवेदीकरण कार्यक्रम	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
6.	कानूनी सहायता पर कानूनी जागरूकता/क्षमता निर्माण	असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर

7.	यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर एचईडब्ल्यू कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
8.	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समारोह का आयोजन	अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, गुजरात, जम्मू और कश्मीर
9.	कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न (पीओएसएच अधिनियम) पर जागरूकता	जम्मू और कश्मीर
10.	बीबीबीपी के लिए सामुदायिक जुटाव/भागीदारी सप्ताह	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, जम्मू और कश्मीर
11.	वृक्षारोपण अभियान	अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात
12.	डीएचईडब्ल्यू और ओएससी कर्मचारियों का क्षमता निर्माण	अरुणाचल प्रदेश, असम, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
13.	कौशल विकास और कैरियर परामर्श के लिए नामांकन अभियान	गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश
14.	मिशन शक्ति योजनाओं पर जागरूकता शिविर	छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
15.	राज्य और जिला स्तरीय आईईसी कार्यकलाप	गुजरात
16.	घरेलू हिंसा अधिनियम पर जागरूकता	जम्मू और कश्मीर
17.	बालिकाओं के लिए बुनियादी कंप्यूटर कौशल पर कार्यशालाएं	हरियाणा

18.	महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा एवं सुरक्षा के लिए कानूनों पर जागरूकता	हरियाणा
19.	स्कूल छोड़ने वालों के लिए प्रशिक्षण	गुजरात, जम्मू और कश्मीर
20.	मिशन शक्ति योजनाओं की निगरानी	छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर
21.	स्थायी खेती पर तकनीकी कार्यशालाएं	हरियाणा
22.	महिलाओं के लिए मासिक धर्म संबंधी स्वास्थ्य और स्वच्छता पर जागरूकता शिविर	बिहार, हरियाणा
23.	नशा मुक्त भारत अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम	जम्मू और कश्मीर
24.	कानूनी जागरूकता और कानूनी सहायता कार्यक्रम	लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, सिक्किम, राजस्थान, उत्तर प्रदेश
25.	स्वास्थ्य और प्रजनन अधिकार पर जागरूकता अभियान	लद्दाख, मध्य प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश

\*\*\*\*\*